



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं : 2231562, http:// : bsea.bihar.gov.in, Email: bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 23/09/2022

अधिसूचना

संख्या-नि.प्रा./नि. 1-4/2022 1789 बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-1163 दिनांक 01.07.2022 द्वारा अन्य समितियों के साथ भागलपुर जिला के शाहकुंड व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0 का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 1317 दिनांक 20.07.2022 द्वारा स्थगित किया गया था।

उक्त के आलोक में शाहकुंड व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0 के निर्वाचन कार्यक्रम को अधिसूचना संख्या-1163 दिनांक 01.07.2022 के क्रम में स्थगन के प्रक्रम से निम्नवत निर्धारित किया जाता है-

(i)	नामांकन की तिथि एवं समय	07.10.2022 (शुक्रवार) से 10.10.2022 (सोमवार) तक 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(ii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	11.10.2022 (मंगलवार) एवं 12.10.2022 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	14.10.2022 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	मतदान, अगर आवश्यक हो	21.10.2022 (शुक्रवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(v)	मतगणना	21.10.2022 (शुक्रवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vi)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	23.10.2022 (रविवार)

2. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में शाहकुंड व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0 के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार यथा माइकिंग, ढोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इश्तेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। दिनांक 29.09.2022 तक इसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन पदाधिकारी मतदान की तिथि को मतदान प्रतिशत एवं मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

4. निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के अगले दिन प्राधिकार के वेबसाइट पर <http://bsea.bihar.gov.in> प्रपत्र-ई 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतगणना के तीन दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) भी प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे।

5. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 23.10.2022 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 122-129 पर देखा जा सकता है।

6. अधिसूचना संख्या 1163 दिनांक 01.07.2022 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

(पुरूषोत्तम पसिवान)

सचिव।

ज्ञापांक : 1789

पटना/ दिनांक 23/09/2022

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक : 1789

पटना/ दिनांक 23/09/2022

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), भागलपुर/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०), भागलपुर/ पुलिस अधीक्षक, भागलपुर/ अपर समाहर्ता, भागलपुर/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), शाहकुंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 1789

पटना/ दिनांक 23/09/2022

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 1789

पटना/ दिनांक 23/09/2022

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूप बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

सचिव।